

## लोक अदालत में न किसी की जीत होती है न किसी की हार: श्रीवास्तव



अधिवक्ताओं की बैठक लेते प्रधान न्यायाधीश।

दतिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हर बार की तरह आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल

बनाने का प्रयास करना है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में दोनों पक्षों की जीत होती है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की अपील भी नहीं होती है। तथा कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विवाद घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होता है। इस अवसर पर जिला स्थापना दतिया के समस्त न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश सक्सेना, सचिव रामनरेश दांगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएन द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम शर्मा, राजेंद्र तिवारी समेत तमाम वकील मौजूद रहे।